प्रेसनोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 31.10.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 302/34/504/506 भादवि 25/27 आयुध अधिनियम के 04 आरोपियो को आजीवन कारावास एवं कुल 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्य्रवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहांपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कलान पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे 05 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कलान में आरोपीगण 1.मंगली 2. दलवीर उर्फ कल्लू 3. वसन्त 4. साधू पुत्रगण श्री सिपट्टर सिंह ग्राम भैंसार थाना कलान जनपद शाहजहांपुर द्वारा एक साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई अर्जुन पर तमन्चे से फायर कर उसकी हत्या कर देने के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 24-24 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्त मंगली उपरोक्त को 25/27आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं 04 हजार रूपये अतिरिक्त के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरणः-

1.मंगली 2.दलवीर उर्फ कल्लू 3.वसन्त 4.साधू पुत्रगण श्री सिपट्टर सिंह निवासीगण ग्राम भैंसार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

घटना व सजा का विवरणः-

मु0अ0सं0 259/2014 धारा 302/34/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 273/2014 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना कलान जनपद शाहजहांपुर में आरोपीगण 1.मंगली 2. दलवीर उर्फ कल्लू 3. वसन्त 4. साधू पुत्रगण श्री सिपट्टर सिंह निवासीगण ग्राम भैंसार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई अर्जुन पर तमन्चे से फायर कर उसकी हत्या कर देने के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 24-24 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्त मंगली उपरोक्त को 25/27आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं 04 हजार रूपये अतिरिक्त के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।